ख्तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/डिक्री/टीए/4516/2004/टोंक नंदकिशोर बनाम सरकार	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

खण्डपीठ

श्री शिखर अग्रवाल, सदस्य

श्री पंकज नरूका, सदस्य

उपस्थितः–

श्री एस0एल0मीणा, अधिवक्ता अपीलार्थी।

श्रीमति पूनम माथुर, अति0 राजकीय अधिवक्ता प्रत्यर्थी।

––

निर्णय

दिनांकः 18–09–19

यह द्वितीय अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम) की धारा 224 के अन्तर्गत भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, टोंक द्वारा अपील सं0 36/2004 में पारित किए गए निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16–08–2004 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थीगण ने एक दावा घोषणा दुरूस्ती इन्द्राज व स्थाई निषेधाज्ञा का विवादित आराजी बाबत् उपखण्ड अधिकारी, उनियारा के न्यायालय में पेश कर कथन किया कि वादी को उक्त आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें तथा प्रतिवादी को पाबंद किया जावें कि वे वादी को विवादित आराजी से बेदखल नहीं करें। उक्त दावे को विचारण न्यायालय ने दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया। प्रत्यर्थी ने जवाब पेश किया। विचारण न्यायालय ने दावे व जवाबदावे के आधार पर तनकियात कायम की। बाद सुनवाई विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक

ख्तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/डिक्री/टीए/4516/2004/टोंक नंदकिशोर बनाम सरकार	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	11–09–2002 द्वारा खारिज कर दिया। उक्त निर्णय व डिक्री से अप्रसन्न होकर प्रथम अपील भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, टोंक के न्यायालय में पेश की गई, जिसे उन्होंने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 16–08–2004 द्वारा खारिज कर दिया। उक्त निर्णय व डिक्री से अप्रसन्न होकर यह द्वितीय अपील पेश की गई है। हमने योग्य अधिवक्तागण की बहस द्वितीय अपील पर सुनी व बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। उक्त द्वितीय अपील में वादीगण/अपीलार्थीगण द्वारा वाद इस आधार पर पेश किया गया है कि वादी को 16–10–62 को भूमि आवंटित हुई तब से विवादित भूमि पर उसका कब्जा काश्त बहैसियत काश्तकार चला आ रहा है किन्तु दौराने भू प्रबंध उक्त आराजी के नये नंबर बने तथा भू प्रबंध अधिकारियों ने बिना किसी अधिकार के खसरा नं0 2408, 2395/3757 को सिवायचक तथा खसरा नं0 2414 को चरागाह दर्ज कर दिया गया, जिसे दुरूस्त किया जावे तथा वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें। विचारण न्यायालय ने तनकी सं0 1 से 3 पर निर्णय पारित करते हुए माना कि वादी अपने वाद में यह सिद्ध करने में असफल रहा है कि उसे आवंटन के पश्चात् खातेदारी क्यों नहीं मिली तथा आवंटन की शर्तो को पूर्ण करने बाबत् वादी ने कोई दस्तावेज या साक्ष्य भी पेश नहीं की है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने वादी का वाद सिद्ध नहीं किए जाने के आधार पर खारिज कर दिया। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने भी विचारण न्यायालय के	

ख्तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/डिक्री/टीए/4516/2004/टोंक नंदकिशोर बनाम सरकार	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	निर्णय को उचित माना तथा अपीलार्थी की हैसियत सिर्फ अतिक्रमी की मानी। हमारी राय में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय समवर्ती है। द्वितीय अपील का क्षेत्र सीमित है और इसके माध्यम से अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्षो में उस समय तक हस्तक्षेप किया जाना विधिसम्मत नहीं है जब तक यह निष्कर्ष अभिलेख के विपरीत न हो। इस प्रकरण में ऐसी कोई परिस्थिति अथवा साक्ष्य प्रकट नहीं होती, जिसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्षो को अभिलेख के विपरीत माना जा सके। उपरोक्त विवेचन के परिणामस्वरूप हम इस द्वितीय अपील में कोई सार नहीं पाते है। फलस्वरूप यह द्वितीय अपील सारहीन होने के कारण खारिज की जाती है। पत्रावली बाद तामील एवं तकमील दाखिल दफ्तर हों। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। (पंकज नरूका) सदस्य (शिखर अग्रवाल) सदस्य	